जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।

–:आम सूचना:–

जिला परिषद्, बोकारो द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित खाली दुकानों का बंदोबस्ती/नीलामी खुली डाक के माध्यम से किया जाना है। जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नांकित हैः–

क्र0	प्रखण्ड	निर्मित स्थल की विवरणी	दुकान संख्या	न्यूनतम सुरक्षित राशि (प्रति दुकान)	मासिक भाड़े की दर (प्रति दुकान)	नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान
1.	चन्दनकियारी	तालगड़िया रेलवे स्टेशन उपरी तल (पार्ट–1) में निर्मित दुकान	13,14,15,16,17 एवं 18	10,000.00 रू0	400.00 रू0	दिनांक 03/01/2025 को समय–11:30 बजे पूर्वाह्न से स्थान–जिला परिषद कार्यालय, बोकारो
2.	चन्दनकियारी	तालगड़िया रेलवे स्टेशन उपरी तल (पार्ट–2) में निर्मित दुकान	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9	10,000.00 रू0	400.00 रू0	
3.	चास	बिजुलिया हाई स्कूल मोड़ उपरी तल (पार्ट–3) में निर्मित दुकान	32, 33, एवं 34	30,000.00 रू0	400.00 रू0	
4.	चास	मामरकुदर मोड़ चन्दनकियारी रोड स्थित उपरी तल में निर्मित दुकान	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14	60,000.00 रू0	1200.00 रू0	
5.	चास	मामरकुदर मोड़ सीमाबाद रोड स्थित उपरी तल में निर्मित दुकान	01,03 एवं 04	40,000.00 रू0	960.00 रू0	
6.	पेटरवार	पेटरवार गागीहाट भूतल में निर्मित दुकान	09	50,000.00	500.00 रू0	
7.	चास	चास मॉल के प्रथम तल में अवस्थित दुकान	09 एवं 12	5,00,000.00	20.00 रू0 प्रति वर्गफीट	
8.	चास	चास मॉल के द्वितीय तल में अवस्थित दुकान	20, 25, 27, 28 एवं 29	3,00,000.00	17.50 रू0 प्रति वर्गफीट	
9.	चास	चास मॉल के तृतीय तल में अवस्थित दुकान	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 एवं 58	2,00,000.00	15.00 रू0 प्रति वर्गफीट	

नियम व शर्ते :–

1. जिला परिषद, बोकारो द्वारा विभिन्न स्थानों में निर्मित खाली दुकानों का आवंटन/नीलामी खुली डाक में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक जिला परिषद कार्यालय, बोकारो के **नजारत शाखा में 500 रू0 नगद जमा कर दिनांक 21/12/2024 से दुकान आवंटन संबंधी आवेदन पत्र** प्राप्त कर सकते है। **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 01/01/2025 को अपराह्न 5:00 बजे तक** होगी।

2. आवेदन पत्र के साथ नीलामी/डाक में भाग लेने हेतु आवेदकों को न्यूनतम सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट DDC-CUM-CEO, ZILA PARISHAD, BOKARO के पदनाम से देय हो, जमा करना आवश्यक होगा। दुकान आवंटन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को बैंक ड्राफ्ट वापस कर दी जायेगी।

3. **पूर्व में न्यूनतम सुरक्षित राशि जमा किये गये आवेदक के द्वारा नीलामी/डाक में भाग नहीं लेने की स्थिति में कोई भी दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।**

4. आवेदन पत्र के साथ अध्यतन फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/अन्य पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. उच्चतम डाकवक्ता/सफल आवेदक को दुकान आवंटित की जायेगी। नीलामी के उपरान्त निर्धारित राशि समय से जमा कर एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में जमा की गई सुरक्षित राशि जब्त कर दुकान द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को आवंटित कर दी जायेगी।

6. आवेदक के द्वारा तीन वर्ष के अंदर दुकान छोड़ने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि से 5 प्रतिशत काटकर बिना ब्याज के राशि वापस की जायेगी।

7. आवेदक भारतीय नागरिक हो, जिनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है।

8. दुकान का एकरारनामा का निबंधन में होने वाली समस्त राशि का व्यय सफल आवेदक को करना होगा।

9. नीलामी अवधि प्रथम पॉच बर्षो के लिए होगी। इसके उपरांत एकरारनामा की सभी शर्त्ते सामान्य रही तो आवेदक को दुकान का नवीकरण आवश्यकतानुसार पॉच वर्षो के उपरान्त संशोधित शर्त्तो के साथ होगी।

10. अनुमण्डल पदाधिकारी, चास एवं बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा समय–समय पर निर्धारित भाड़ा अनुमान्य होगा।

11. उपरोक्त शर्त्तो के अतिरिक्त अन्य विविध शर्त्ते एकरारनामा पत्र के अनुसार होगा।

12. दुकान आवंटन को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बोकारो के पास सुरक्षित होगा।

18.12.24

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बोकारो।